प्राक्कथन

सरकार और राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत 'हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुरूप की गई है। लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव, ईंधन और सूची प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की जांच करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।